

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/लै.टै/सीधी भर्ती-2013/एफ-291/2023/160

दिनांक: 08/03/2023

—आदेश—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 975/2019 नवीन परेवा व अन्य बनाम सरकार, अवमानना संख्या 703/2021 पायल अरोडा व अन्य एवं अवमानना (इन एस0बी0 सिविल रिट संख्या 16613/2016) कनेक्टेड एस0बी0सिविल रिट संख्या 11705/2015 जितेन्द्र शर्मा व अन्य, में पारित आदेश दिनांक 20.4.2018, का मुख्यांश निम्न प्रकार है :-

" In the result, the respondents are directed to redraw the merit list and accord appointment to the petitioners, strictly as per their merit, if they are otherwise found eligible. However, petitioners would be entitled to all the consequential benefits on notional basis.

It is made clear that the candidates, who have already been appointed, they may not be disturbed, if vacancies are available in terms of the advertisement and appointment has been according to merit."


राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत उक्त याचिकाकर्ताओं को लैब टैक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक ई-33/लै0टे0/(सीधी भर्ती)/2016/एफ-1417/2017/796 दिनांक 8.12.2017 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसके क्रम में निदेशालय के आदेश क्रमांक-ई-33/रेडियो/एफ-291/2022/356 दिनांक 26.7.2022 एवं 407 दिनांक 25.8.2022 के द्वारा चयन किया गया है।

अतः उक्त याचिकाकर्ताओं को निदेशालय के संशोधन आदेश क्रमांक ई-33/सहा0रेडियो/एफ-291/2023/139 दिनांक 28.02.2023 द्वारा लैब टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी का, पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्थानों में किया जाता है :-

S.No.	Application No	Candidate Name	Father Name	Gender	DOB	Cat	Place of Posting
1	201600876814	सुभाष चन्द	मदन लाल पाटोदिया	Male	08.12.1990	SC	सामु. स्वा. केन्द्र गोल (दौसा)
2	201600876714	जितेन्द्र बुरडक	जगदीश प्रसाद	Male	10.08.1994	OBC	सामु. स्वा. केन्द्र, नीमला (जयपुर-प्रथम)
3	201600876988	संजय शर्मा	घनश्याम शर्मा	Male	11.02.1994	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र- आंतेला (जयपुर)
4	201600876433	अमित दिनोदिया	प्रशांत दिनोदिया	Male	08.10.1990	SC	सामु. स्वा. केन्द्र, दुधवाखारा (चूरु)
5	201600876745	रितेश शर्मा	दीप नारायण शर्मा	Male	01.02.1995	GEN	उप जिला चिकित्सालय रामगढ पचारा (दौसा)
6	201600876244	वेनू शर्मा	राहुल शर्मा	Female	08.05.1989	GEN	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगवाडा (जयपुर)
7	201600876697	पायल अरोडा	सुशील अरोडा	Female	22.03.1987	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र- आंधी (जयपुर)
8	201600876472	नवीन परेवा	रमेश परेवा	Male	15.04.1993	SC	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- भावनी (जयपुर)
9	N/A	सुमन चौधरी	रामकिशन चौधरी	Female	29.10.1987	OBC	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- रायथल (जयपुर प्रथम)

उक्त पदस्थापन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं :-


1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 8 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या: एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
5. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभागीय वेबसाइट (www.rajswasthya.nic.in) से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
6. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सभी छाया प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
7. उक्त याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प0 1 (1) कार्मिक/(क-2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
8. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही उक्त को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।
9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.05.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
12. उक्त याचिकाकर्ताओं में से जिनका पदस्थापन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया है, वे सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
13. अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अग्रिम पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना सहित निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
14. उक्त याचिकाकर्ताओं को दिनांक 20.03.2023 तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।


(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. डॉ० विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
5. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
7. उप विधि परामर्श, मुख्यालय।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
10. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :-
 - (i) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
 - (ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।
 - (iv) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
 - (v) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (vi) दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कांट-छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नहीं करावें।
 - (vii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
12. उक्त याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
13. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर